रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1415] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2017/वैशाख 27, 1939
No. 1415] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2017/VAISAKHA 27, 1939

lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

dk-vk-1602¼v½-&यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कन्ध) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 0.000 कि.मी. से 107.200 कि.मी. (चेन्नई–रानीपेट सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008, द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और जिन्हें बाद में सा.का.नि. 950(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि 15(अ), तारीख 12 जनवरी 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2016 और सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किया गया है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स एस्सेल वालाजाहपेट पूनामल्ली टोल रोड्स प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस्सेल हाउस, बी–10, लॉरेन्स रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110035 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर 106.800 किमी से 13.800 किमी तक वालाजाहपेट–पूनममल्ली सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) को 6 लेन में विकास करने हेतु 27.04.2012 को प्रस्तुत बोलियों के लिए सफल बोलीदाता है, के साथ करार किया है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 376(अ), तारीख 14.02.2013 द्वारा रियायतग्राही मैसर्स एस्सेल वालाजाहपेट पूनामल्ली टोल रोडस प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से करार में यथा–विनिर्दिष्ट तारीख के समापन तक तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर 106.800 किमी से 13.800 किमी तक वालाजाहपेट–पूनामल्ली सेक्शन के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहित एवं संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है। बीओटी रियायतग्राही ने प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य 01.06.2013 को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारम्भ किया।

और यतः भाराराप्रा ने बीओटो रियायतग्राही से प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण का कार्य 29.07.2016 (00:00 बजे) से अपने हाथ में ले लिया। कार्य को आगे बढ़ाने में रियायतग्राही की विफलता के कारण, भाराराप्रा ने रियायत करार परियोजना को 22.07.2016 को समाप्त कर दिया और टोल प्लाजाओं सहित परियोजना की परिसम्पत्तियों को भाराराप्रा ने अपने हाथ में ले लिया गया है। भाराराप्रा तारीख 14.02.2013 की शुल्क अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण का कार्य जारी रखे हुए है। तथापि, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् भाराराप्रा इस शुल्क अधिसूचना के अधीन प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ताशुल्क का संग्रहण करेगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 376 (अ), तारीख 14.02.2013 के अधिक्रमण से पहले कर ली गई है अथवा करने से लोप करा दी गई है, एतद्द्वारा सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 93.000 किमी (जिसे सड़क पर 394.44 मीटर (239.44 मीटर + 155 मीटर) की संरचना शामिल है (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और 3.940 किमी (2.390 मीटर + 1.550 मीटर) की समकक्ष लम्बाई के लिए तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर 106.800 किमी से 13.800 कि.मी. तक वालाजाहपेट पूनामल्ली सेक्शन के 4 या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हुत नीचे सारणी I के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी I के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

lkj.kh 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भं.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित फीस प्लाजा पर, ऐसे फीस प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	शुल्क प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1	कांचीपुरम जिले में गांव नेमिली श्रीपेरुम्पुदूर के पास 37.800 किमी पर	46.261 (नीचे पैरा 2 में संरचनाओं को छोड़कर 239.44 मीटर की लम्बाई)
2	वेल्लोर जिले में चेन्नासमुद्रम गांव के पास 104.900 कि.मी. पर	46.345 (नीचे पैरा 2 में निर्दिष्ट संरचनाओं को छोड़कर 155.00 मीटर की लम्बाई)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक से 10 गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

¼d½ ufeyh Jhi#Eiqnj

'kqYd IykTkk dk voLFkku ¼pSust½	IMd dh led{k yEckbZ esa ifjorZu fd, tkus gsrq lajpukvksa dh yEckbZ ¼fd-eh- esa½	IMd dh led{k yEckbZ ¼fd-eh- esa½
कांचीपुरम जिले में गांव नेमिली श्रीपेरुम्पुदूर के पास 37.800 कि.मी. पर	0.239	2.390

* ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना, चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	संरचना का स्वरूप	चैनेज	
1.	फ्लाईओवर	18.070	84.72

2.	ओवरपास	22.400	84.72
3.	बड़ा पुल	27.216	70.00
			239-44

¼[k½ pUuk lemæ

'kqYd lykt k dk voLFkku ¼pUu t½	lM+d dh led{k yEckbZ esa ifjorZu fd, tkus gsrq lajpukvksa dh yEckbZ ¼fd-eh- esa½	lM+d dh led{k yEckbZ ¼fd-eh- esa½
वेल्लोर जिले में चेन्नासमुद्रम गांव के पास 104.900 कि.मी. पर	0.155	1.550

* ब्यौरा निम्न प्रकार है:

Øe la[;k	60 ehVj ls vf/kd dh yEckbZ okyh lajpuk] pSust		yEckbZ ¼ehVj½
	lajpuk dk Lo:i	pSust	
1.	आर ओ बी	72.250	80.00
2.	फ्लाईओवर	106.536	75.00
			155-00

3.. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह फीस प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016–17 के लिए मासिक पास की दर 235.00 रूपए (दो सौ पैतीस रूपए मात्र) होगी और यथा–संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए उस वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण एजेन्सी को ऐसे यांत्रिक वाहन को श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहने से अधिक भारत को हटा नहीं दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्डों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें बाइपास अथवा सुरंग भी शामिल है, का निर्माण 11 सितम्बर, 1956 को अथवा उसके बाद लेकिन 5 दिसम्बर, 2008 से पहले किसी सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना के जरिए या निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी)

परियोजना के जरिए किया गया हो, तो इसके किसी खण्ड के उपयोग के लिए शुल्क की दर वही होगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड के हेतु उप–नियम (2) में उपलब्ध कराई गई है, और उसमें नियम–5 के प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया जाएगा :

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड अथवा पुल का आगे लेन उन्नयन का काम शुरू किया गया है अथवा नहीं, एसे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास अथवा सुरंग जिसका निर्माण किसी सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना अथवा निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) परियोजना के जरिए उक्त नियमों के प्रारम्भ से पहले किया गया हो, शुल्क की दरों में वृद्धि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) द्वारा संशोधन नियम, 2011 के प्रारम्भ के पश्चात्, ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले लागू शुल्क की दरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी और किसी भी सूरत में आगे वार्षिक वृद्धि ठीक पहले के वर्ष में लागू दरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

11. 31.03.2016 के अनुसार, नेमिली श्रीपेरुम्पुदूर शुल्क प्लाजा के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 119.44 करोड़ रुपए (एक सौ उन्नीस करोड़ चवालीस लाख रुपए मात्र) है और 31.03.2013 के अनुसार कुल पूंजीगत लागत 226.69 करोड़ रुपए (दौ सौ छब्बीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपए मात्र) है। 31.03.2013 के अनुसार चेन्नासमुद्रम शुल्क प्लाजा के लिए यह दर लागत 36.82 करोड़ रुपए (छत्तीस करोड़ बयासी लाख रुपए मात्र) है तथा कुल पूंजीगत परियोजना 135.30 करोड़ रुपए (एक सौ पैंतीस करोड़ तीस लाख रुपए मात्र) है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्त्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजी लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजी लागत की वसूली हो जाने के पश्चात् लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशाोधन किया जाएगा।

[फा. सं भाराराप्रा/13013/699/सीओ/16–17/जीसी/कृष्णागिरि (13.8–106.8) पीएफ]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2017

S.O. 1602(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Road Wing) number S.O. 1097(E) dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from km 0.000 to km 107.200 (Chennai – Ranipet Section) of National Highway No. 4 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R. 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 29th December, 2014, G.S.R. 220(E) dated 23rd March, 2015, G.S.R. 585(E) dated 8th June, 2016, G.S.R. 1114(E) dated 2nd December, 2016 and G.S.R. 248(E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement with M/s Essel Walajahpet Poonamallee Toll Roads Private Limited, having its registered office at Essel House, B-10, Lawrence Road, Industrial Area, New Delhi - 110035 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") the successful bidder for bids submitted on 27.04.2012 for the development to Six lane of the Walajahpet – Poonamalle section from km 106.800 to km 13.800 on National Highway Number 4 (hereinafter referred to as the "said section").

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 376 (E) dated 14.02.2013 authorized the Concessionaire M/s Essel Walajahpet Poonamallee Toll Roads Private Limited, New Delhi, for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of Walajahpet – Poonamalle section from km 106.800 to km 13.800 on National Highway Number 4 in the State of Tamil Nadu on BOT basis on and from the Date of Commercial Operation declared

by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement. BOT Concessionaire started user fee collection from COD on 01.06.2013.

And whereas, the user fee collection has been taken over by NHAI from BOT Concessionaire w.e.f. 29.07.2016 (00:00 Hrs.). Due to failure of Concessionaire in progressing the work, NHAI has terminated the subject project Concession Agreement 22.07.2016 and project assets including toll plazas have been taken over by NHAI. NHAI is continuing the user fee collection as per provisions in Fee Notification dated 14.02.2013. However, after date of publication of this fee notification, NHAI shall collect user fee as per provisions under this fee notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification number S.O. 376 (E) dated 14.02.2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 93.000 km [including 394.44m (239.44m + 155m) of structure on road (having length more than 60m) with equivalent length of 3.940 km (2.390 km + 1.550 km)] for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Walajahpet – Poonamalle section from km 106.800 to km 13.800 on National Highway Number 4 in the State of Tamil Nadu and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to si\x axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for the distance specified for each such Fee Plaza:

Sl. No.	Locations of Fee Plazas (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable
1.	**At km 37.800, near village Nemili Sriperumpudur in Kanchipuram District**	**46.261** [Excluding 239.44 m length of structures indicated in Para-2 below]
2.	**At km 104.900, near village Chennasamudram in Vellore District**	**46.345** [Excluding 155.00 m length of structures indicated in Para-2 below]

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

[A] Nemili Sriperumpudur

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km.)
At km 37.800, near village Nemili Sriperumpudur in Kanchipuram District	0.239	2.390

* The details are as under:-

Sl. No.	Structure having length more than 60m, Chainage		Length (m)
	Type of Structure	Chainage	
1	Flyover	18.070	84.72
2	Overpass	22.400	84.72
3	Major Bridge	27.216	70.00
			239.44

[B] Chennasamudram

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km.)
At km 104.900, near village Chennasamudram in Vellore District	0.155	1.550

* The details are as under:-

Sl. No.	Structure having length more than 60m, Chainage		Length (m)
	Type of Structure	Chainage	
1	ROB	72.250	80.00
2	Flyover	106.536	75.00
			155.00

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the

toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The rate of fee for use of a section of a national highway consisting of bypass or tunnel constructed on or after 11th September, 1956 but before 5th December, 2008, through public funded project or build, operate and transfer (annuity) project, shall be the same, as provided in sub-rule (2) for the Section of a national highway, and, shall be revised in accordance with the provisions of rule 5;

Provided that notwithstanding whether the Section of the national highway or the bridge has been taken for further lane upgradation or not, the increase in the rate of fee for use of a Section of such national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, constructed through any public funded project or any build, operate and transfer (annuity) project constructed before the commencement of the said rules, shall not be increased after the commencement of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) second Amendment, Rule, 2011 by more than twenty five per cent of the rates of fee applicable immediately before such commencement and further annual increase shall in no case be more than twenty five per cent of the rate applicable in the immediately preceding year;

11. The present value of Capital Cost of the Project as on 31.03.2016 is Rs. 119.44 Crore (Rupee One Hundred Nineteen Crore Forty Four Lakh only) & Total capital cost as on 31.03.2013 is Rs. 226.69 Crore (Rupee Two Hundred Twenty Six Crore Sixty Nine Lakh only) for Nemili Sriperumpudur fee plaza and Rs. 36.82 Crore (Rupee Thirty Six Crore Eighty Two Lakh only) & Total capital cost as on 31.03.2013 is Rs. 135.30 Crore (Rupee One Hundred Thirty Five Crore Thirty Lakh only) for Chennasamudram fee plaza. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[No. NHAI/13013/699/CO/16-17/GC – Krishnagiri (13.8-106.8) PF]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.22 22:17:48 +05'30'